(56) (69)

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग – 2835 – II 16

प्रकरण क्रमांक ....निगरानी / 2016

आवेदकगण : 1. जोगेन्दर सिंह पुत्र हजारा सिंह
2. गुरूमुख सिंह पुत्र हजारा सिंह
3. सतपाल सिंह पुत्र हजारा सिंह
4. सुखचैन सिंह पुत्र इंदर सिंह
5. सुखदेव सिंह पुत्र इंदर सिंह
6. करनैल सिंह पुत्र इंदर सिंह
7. जरनैल सिंह पुत्र इंदर सिंह
सभी जाति सिख निवासीगण ग्राम छैलाबाग
तहसील व जिला अशोकनगर (म. प्र.)

दिनांक 22-8-16 को श्री एस.एस. गौतम अभि० द्वारा प्रस्तुत। 22.8.16 SO

विरूद्ध

अनावेदकगण : 1. अनूप सिंह पुत्र हजारा सिंह सिख
निवासी अखाई कृष्ण तहसील शडौरा
जिला अशोकनगर (म. प्र.)
2. दर्शन सिंह पुत्र इंदर सिंह सिख
3. कुलवंत सिंह पुत्र इंदर सिंह सिख
निवासीगण ग्राम छैलाबाग
तहसील व जिला अशोकनगर (म. प्र.)

COMMISSIONER OF OATHS Smt. Jyoti Sontakke Gwalior (M.P.) M.P. High Court Gwalior FOR THE HIGH COURT

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

विरूद्ध आदेश दिनांक 16–8–2016 पारित द्वारा, न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 24 अ 27 / 10–11 (प्रदर्श ए–.1...)

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय में निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2835–दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–9–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 24/अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16–8–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर बटवारा प्रकरण में पुनः कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, जबकि मान0 उच्च न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25–7–12 की पुष्टि की है। यह भी तर्क दिया कि अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर हुये बटवारा आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसे मान0 उच्च न्यायालय द्वारा भी स्थिर रखा गया है परन्तु अनावेदकों द्वारा पुनः बटवारा हेतु आवेदन दिया जाना विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है। अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर बटवारे के कार्यवारी निरस्त की जाये। 3/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके विरूद्ध आवेदकों द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिसमें मान0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11–7–13 के द्वारा प्रकरण पुनः तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है। मान0 उच्च न्यायालय के प्रत्यवर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा पुनः	

कार्यवाही प्रारंभ की गई है। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार के समक्ष बटवारा प्रकरण के विरूद्ध किसी वरिष्ठ न्यायालय, व्यवहार न्यायालय अथवा मान0 उच्च न्यायालय से स्थगन नहीं है जिससे उक्त बटवारा कार्यवाही रोकी अथवा निरस्त की जाये,। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आदेशों की प्रतियों का अवलोकन किया। अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत बटवारा आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25–7–12 के द्वारा निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर अपर आयुक्त सहित इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाकर बटवारा आदेश बहाल किया गया। आवेदकों द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कमांक 1606/2013 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी को उचित मानते हुये यह लेख किया है कि प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है पिटिशन स्वीकार की जाती है। प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 7–2–2013 एवं 24–1–13 निरस्त किये जाते हैं। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा है।

यद्यपि आवेदक अभिभाषक का यह तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार के प्रकरण का धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाने से निरस्त किया और निरस्ती उपरांत प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा असहमति जाहिर की गई चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लेख है इसलिए माननीय

उच्च न्यायालय का आदेश अधिनस्थ न्यायालयों सहित सभी राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। आवेदक अभिभाष द्वारा यह भी तर्क दिया है कि व्यवहार वाद कमांक 149ए/2013 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के यहां लंबित है, परन्तु आवेदक अभिभाषक व्यवहार न्यायालय के द्वारा पारित किसी प्रकार के अंतिम आदेश अथवा स्थगन आदेश अथवा उसकी प्रति उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। अपितु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178– 1 के परन्तु में यह प्रावधानित है कि– "परंतु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को तीन मास की कालावधि के लिए रोक देगा, जिससे कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिए सिविल वाद का संस्थित किया जाना सुकर हो जाए।"

जैसा कि उपर लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अपने तर्क में स्वयं यह तथ्य इस न्यायालय के समक्ष लाया है कि बटवारे के संबंध में व्यवहार वाद कमांक 149ए/2013 दायर किया जा चुका है तथा व्यवहार वाद से किसी प्रकार का स्थगन नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा कार्यवाही को रोकने के संबंध में संहिता के प्रावधान बाध्य नहीं करते हैं। चूंकि मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में बटवारा कार्यवाही प्रारंभ की गई है और व्यहवार न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है इसलिए तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है। इसके बावजूद चूंकि व्यवहार के समक्ष वाद प्रचलित है और व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर

बंधनकारी है इसलिए कार्यवाही व्यवहार वाद के अध्यधीन रहेगी। उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य